

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती

दिनांक 15.11.2020

ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे की कम्पनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रविन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना दुबौलिया श्री अनिल कुमार, प्रभारी स्वाट टीम उ0 नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय, प्रभारी सर्विलान्स सेल श्री जितेन्द्र सिंह व साइबर सेल जनपद बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिनांक 15.11.2020 को टैक्सी स्टैण्ड, कलवारी, जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 10.11.2020 को श्री रामकरन गौतम पुत्र श्री जोखू नि0 लक्ष्मणपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा थाना दुबौलिया पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र के पास 4100 रू0 का ट्रान्जेक्शन किया गया था किन्तु उक्त रूपया प्रार्थी के बैंक खाते से कट गया किन्तु उनके पुत्र के पास पहुंचा नहीं। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा गूगल से कस्टमर केयर का टोलफ्री नम्बर लेकर फोन किया गया। जहाँ पर उक्त कस्टमर केयर अधिकारी द्वारा दूसरे मोबाइल नम्बर पर बात करने को कहा गया। जब प्रार्थी ने कस्टमर केयर अधिकारी द्वारा बताये गये नम्बर पर फोन किया तो बात करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को अपनी बातों में फसाकर उनके खाते से 89,998 रू0 की फर्जी तरीके से ऑनलाइन निकासी कर ली गयी है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अपना एक संगठित गिरोह चलाते हैं। हम गूगल पर अपनी तरफ से ऑनलाइन पेमेन्ट करने वाली कम्पनियों के नाम के फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन नम्बरों को अपलोड कर देते हैं। जिस पर लोग, हमें संबंधित कम्पनी का कस्टमर केयर अधिकारी समझकर हमसे सम्पर्क करते हैं। हम लोग, फोन करने वाले व्यक्ति को समस्या का समाधान करवाने के नाम पर अपनी बातों में फँसा लेते हैं, और उनसे रूपयों की ऑनलाइन ठगी करते हैं। हम लोगो का यह गिरोह ऑनलाइन सक्रिय होकर पूरे देश में कहीं से भी फोन करने वाले व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी का कार्य करता है। हमारी गैंग के लोगो द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के साथ अबतक लगभग 3 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 218/2020 धारा 420 भादवि 66 आईटी एक्ट थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक लाख, पाँच हजार, दो सौ, दस रूपये (1,05,210 रू) नकद ।
2. पाँच लाख, तीस हजार, सात सौ, उन्नीस रूपये(5,30,719 रू) विभिन्न खातों में फ्रीज ।
3. 03 अदद मोबाइल फोन ।
4. 02 अदद आधार कार्ड ।
5. 02 अदद पैन कार्ड ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. सतेन्द्र कुमार सिंह पुत्र हरीशचन्द्र प्रसाद सिंह पता- बड़ी मजगाँव, थाना गंगटा, जिला मुंगेर, बिहार।
2. अक्षय कुमार पुत्र प्रेम चन्द्र रजक पता- कैमासिको(कौवाखोर), पटना सिटी, जनपद पटना, बिहार।
3. नीलकमल पुत्र सतेन्द्र कुमार सिंह पता- बड़ी मजगाँव, थाना गंगटा, जिला मुंगेर, बिहार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी स्वाट टीम उ0 नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय ।
3. प्रभारी सर्विलान्स सेल उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
4. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती।
5. हे0का0 महेन्द्र यादव, का0 मनोज राय, का0 मनिन्द्र चन्द्र, का0 रविशंकर शाह, का0 अभिषेक तिवारी, का0 रमेश गुप्ता, का0 देवेन्द्र निषाद, स्वाट टीम
6. का0 जयराम यादव,का0 रामगोविन्द बिन्द, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती।
7. म0का0 श्रद्धा राव, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती।
8. का0 धीरेन्द्र कुमार यादव, साइबर सेल, जनपद बस्ती।
9. का0 सर्वेश नायक, का0 जितेन्द्र कुमार यादव, सर्विलान्स सेल, जनपद बस्ती।

